

प्रपत्र-54

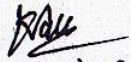
परियोजना का नाम:- मा0मु0घो0 795/2014 जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर
में नौगांव से सेलाकोट काने रिखाड से मेहरागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।
(लम्बाई 16.00 किमी०+24मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु)

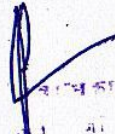
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन
भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रातहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल व सायम वन प्रभाग
अल्मोड़ा.


प्रयोक्ता एजेन्सी
अविश्वसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा


वन अधिकारी
वन विभाग
खि० सो० व० प्र० अल्मोड़ा


ज.द.
लो०नि०वि० अ०

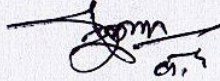
2.20

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-सेलाकोट-काने रिखाढ़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि०मी०) का निर्माण।

परियोजना स्थल का किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य, बिनसर की सीमा से हवाई दूरी 11.00 किलोमीटर है।




जिला अधिकारी,
जोगेश्वर वन क्षेत्र,
डि० सी० वन प्रभाग, अल्मोड़ा


प्रभागिक अधिकारी
विभागीय वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

2.21

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-सेलाकोट-काने रिखाढ से मेहरागाँव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि०मी०) का निर्माण।

परियोजना स्थल का किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का पमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।



सावि अधिकारी,
आगरेवर वन क्षेत्र,
हि० सी० वन प्रभाग, अल्मोड़ा

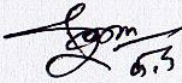
प्रमाणित वन अधिकारी
प्रभागिय वन अधिकारी,
विबिल एवं वन्य जीव प्रभाग,
अल्मोड़ा.

२.२३

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-सेलाकोट-काने रिखाढ़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि०मी०) का निर्माण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


6.3


पाप अधिकारी,
कार्यपालक वन क्षेत्र,
वि० को० वन प्रभाग अल्मोड़ा


प्रमाणित अधिकारी
विभिन्न एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में
अल्मोड़ा